भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1668

दिनांक 10 फरवरी, 2026

कृषि विश्वविद्यालय

1668. श्री अनूप संजय धोत्रे:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत कृषि विश्वविद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है और देश में नए कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए क्या मानक/मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में कृषि विश्वविद्यालयों के सुधार/उन्नयन के लिए राज्य-वार विशेषकर अकोला, महाराष्ट्र में कोई निधि आवंटित की है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा राज्य-वार विशेषकर अकोला, महाराष्ट्र में स्वीकृत की गई निधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कर्मचारियों की कमी के कारण कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि और पशुपालन क्षेत्रों में शिक्षण बुरी तरह प्रभावित हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) : देश में 80 कृषि विश्वविद्यालय हैं जिनमें 69 राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू), 03 केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) और 04 मानद विश्वविद्यालय (डीयू) तथा कृषि संकाय वाले 04 केन्द्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। **अनुबंध -I**

कृषि, जिसमें कृषि शिक्षा शामिल है, राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता के अनुसार कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करती हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने भारत में उच्चतर कृषि शिक्षा संस्थानों के लिए ''आईसीएआर मॉडल ऐक्ट (संशोधित 2023)'' और ''कृषि महाविद्यालयों की स्थापना के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं'' विकसित की हैं।

(ख) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की प्लान योजना ''भारत में उच्च्तर कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण एवं विकास'' के अधीन देश के प्रत्यायियित कृषि विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान योजना अवधि के पांच वर्षों के दौरान मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को 1869.69 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

भाकृअनुप, योजना स्कीम के तहत कृषि विश्वविद्यालयों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि शिक्षण, शिक्षा से संबंधित सुविधाओं एवं अवसंरचना में वृद्धि हो सके और इन्हें उन्नत, सुदृढ़ और आधुनिक बनाया जा सके, तथा स्टूडेन्ट रिसर्च को सहयोग दिया जा सके तथा उच्च कृषि शिक्षा के गुणवत्ता आश्वासन के लिए तथा छात्रवृत्तियों के लिए प्रावधान किया जा सके।

(ग) : योजना के तहत पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष की वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

योजना के तहत पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ (पीडीकेवी), अकोला को प्रदान की गई रू 9.59 करोड़ की वित्तीय सहायता का वर्षवार विवरण **अनुबंध- III** में दिया गया है।

(घ): कृषि विश्वविद्यालयों से एकत्र की गई सूचना के अनुसार कृषि विश्वविद्यालयों में कुल संकाय/शिक्षण पदों में से लगभग 47% पद रिक्त हैं। कृषि शिक्षा, राज्य का विषय होने के कारण राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs) के पदों को सृजित करने और भरने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की हैं।

****

अनुबंध – I

{लोक सभा के दिनांक 10.02.2026 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1668 का भाग (क)}

देश में कार्यरत कृषि विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची:

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालय का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, गुंटूर
2.		श्री वेंकटेश्वर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, तिरुपति
3.		डॉ. वाईएसआर बागवानी विश्वविद्यालय, वेंकटरमणगुडेम
4.		आंध्र प्रदेश मात्स्यिकी विश्वविद्यालय, नरसापुर, पश्चिम गोदावरी
5.	असम	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट
6.		असम पशु चिकित्सा और मात्स्यिकी विश्वविद्यालय (एवीएफयू), खानापारा, गुवाहाटी
7.	बिहार	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर
8.		डॉ. आरपी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार
9.		बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना
10.	छत्तीसगढ	इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय, रायपुर
11.		छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग
12.		महात्मा गांधी बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, दुर्ग
13.	दिल्ली	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
14.	गुजरात	आणंद कृषि विश्वविद्यालय, आणंद
15.		जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़
16.		सरदार कृषीनगर दंतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, दंतीवाड़ा
17.		गुजरात प्राकृतिक खेती विज्ञान विश्वविद्यालय, सुल्तानपुरा
18.		नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी
19.		कामधेनु विश्वविद्यालय, अमरेली
20.	हरियाणा	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
21.		लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार
22.		राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल
23.		हरियाणा राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल
24.	हिमाचल प्रदेश	चौ. सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर
25.		डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन
26.	जम्मू और कश्मीर	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू
27.		शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर
28.	झारखंड	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची
29.	कर्नाटक	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर
30.		कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर
31.		कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालय का नाम
32.		केलाडी शिवप्पा नायक कृषि और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिमोगा
33.		कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बीदर
34.		बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, बागलकोट
35.		कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, मांड्या
36.	केरल	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर
37.		केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पूकोड़े, वायनाड, केरल
38.		केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय, पनंगड, कोच्चि
39.	मध्य प्रदेश	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
40.		राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर
41.		नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, जबलपुर
42.	महाराष्ट्र	वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभणी
43.		महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
44.		डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्व विद्यालय, अकोला
45.		डॉ. बालासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली
46.		महाराष्ट्र पशु एवं मात्स्यिकी विश्वविद्यालय, नागपुर
47.		केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुंबई
48.	मणिपुर	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल
49.	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय, मेडज़िफेमा
50.	उड़ीसा	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
51.	पंजाब	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
52.		गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना
53.	राजस्थान	कृषि विश्वविद्यालय, कोटा
54.		महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर
55.		स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
56.		एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
57.		कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
58.		राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर
59.		राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर
60.	तमिलनाडु	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर
61.		तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई
62.		तमिलनाडु डॉ जे जयललिता मत्स्य विश्वविद्यालय, नागपट्टिनम
63.	तेलंगाना	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद
64.		श्री पीवी नरसिम्हा राव तेलंगाना पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
65.		श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय, हैदराबाद

66.	उत्तर प्रदेश	चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर
67.		सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ
68.		रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी
69.		आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या
70.		बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा
71.		अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
72.		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
73.		उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा
74.		भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली
75.	उत्तराखंड	जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर
76.		वीसीएसजी उत्तराखंड बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार
77.	पश्चिम बंगाल	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, कूच बिहार
78.		बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर
79.		विश्व भारती, शांति निकेतन
80.		पश्चिम बंगाल पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता

****

अनुबंध - II

{लोक सभा के दिनांक 10.02.2026 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1668 का भाग (ग)}

इस योजना के तहत कृषि विश्वविद्यालयों को निधि (फंडिंग) सहायता का विवरण योजना के विगत तीन वर्ष, और चालू वर्ष (2022-23 से 2025-26 की आज दिनांक तक) के लिए राज्यवार अनुदान

राशि (करोड़ रुपये में)

क्रमांक	राज्य कृषि विश्वविद्यालय	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (आज तक)	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	5.78	9.02	15.48	1.83	**32.11**
2.	असम	11.64	6.76	13.35	3.23	**34.98**
3.	बिहार	5.65	6.08	15.29	0.74	**27.76**
4.	छत्तीसगढ	8.46	9.10	9.18	1.37	**28.11**
5.	दिल्ली	23.83	29.67	72.38	99.50	**225.38**
6.	गुजरात	10.97	11.15	24.33	2.65	**49.1**
7.	हरियाणा	8.27	10.77	29.53	0.61	**49.18**
8.	हिमाचल प्रदेश	4.70	9.45	11.49	0.88	**26.52**
9.	झारखंड	0.55	0.29	0.51	0.08	**1.43**
10.	जम्मू और कश्मीर	8.12	4.72	19.30	3.49	**35.63**
11।	कर्नाटक	19.42	26.77	35.21	12.01	**93.41**
12.	केरल	6.41	6.34	10.85	1.50	**25.1**
13.	मध्य प्रदेश	7.44	9.69	17.03	0.94	**35.1**
14.	महाराष्ट्र	22.44	16.59	39.23	4.93	**83.19**
15.	मणिपुर	14.42	16.75	13.14	6.20	**50.51**
16.	नगालैंड	0.13	0.32	4.70	0.10	**5.25**
17.	उड़ीसा	3.68	2.78	5.40	0.06	**11.92**
18.	पंजाब	7.10	4.78	11.93	1.01	**24.82**
19.	राजस्थान	9.77	10.53	19.36	0.71	**40.37**
20.	तेलंगाना	5.94	11.81	12.56	0.65	**30.96**
21.	तमिलनाडु	4.98	10.43	19.88	4.95	**40.24**
22.	उत्तराखंड	3.35	6.15	27.06	0.66	**37.22**
23.	उत्तर प्रदेश	15.26	14.46	52.30	2.01	**84.03**
24.	पश्चिम बंगाल	4.10	5.22	9.66	1.17	**20.15**

****

अनुबंध - III

{लोक सभा के दिनांक 10.02.2026 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1668 का भाग (ग)}

डॉ. पीडीकेवी, अकोला, महाराष्ट्र के लिए वित्तीय सहायता योजना स्कीम के पिछले तीन वर्ष एवं चालू वर्ष के लिए

विश्वविद्‌यालयों के नाम	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 से अब तक**	**कुल करोड़ रुपये**
पीडीकेवी, अकोला	3.38	2.92	2.11	1.18	9.59

*****